



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112021-230996
CG-DL-E-10112021-230996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4255]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943

No. 4255]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021

का.आ. 4618(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 55 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2021, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 जनवरी, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य 544.78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और गुजरात राज्य में बनासकांठा जिले के दंता अमीरगढ़, पालनपुर, और वडगम तालुक में स्थित है, और वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम में जेस्सोर वन्यजीव अभयारण्य, पूर्व में सावरमती नदी और उत्तर में निकटस्थ राजस्थान सीमा के बीच बनासकांठा जिले के उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित है;

और, बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचना सं.जीवीएन/27/डब्ल्यूएलपी/1088/850-वी2, तारीख 7 अगस्त, 1989 द्वारा 542.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था जिसका क्षेत्रफल यौक्तिकीकरण के बाद 544.78 वर्ग किलोमीटर है;

और, यह अभयारण्य उत्तर गुजरात-बनास और साबरमती दो मुख्य नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है और संरक्षित क्षेत्र के वन अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि देश में अद्वितीय और महत्त्वपूर्ण जैवविविधता के लिए बड़ा भू-दृश्य प्रदान करता है, के संरक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं, और यह थार रेगिस्तान के दक्षिण की ओर विस्तार को नियंत्रित करने में भी सहायता करता है;

और, बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीव की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के साथ वृक्षों, जड़ी-बूटियों और झाड़ियों की कई दुर्लभ और लुप्तप्राय विविधताएं हैं, इस अभयारण्य के अंतर्गत दक्षिण शुष्क मिश्रित पर्णपाती और रेगिस्तानी कंटीले वन है, और क्षेत्र में कुल अभिलिखित की गई वनस्पति प्रजातियों में वृक्षों की 101 प्रजातियां, झाड़ियों की 86 प्रजातियां, आरोही बेलों की 67 प्रजातियां, पट्टिडोफाइट की 1 प्रजाति, जड़ी-बूटियों 180 प्रजातियां और नरकट और घासों की 49 प्रजातियां शामिल हैं;

और, क्षेत्र में मुख्य वनस्पति में खैर (*अकैशिया कटेचु*), हलदु (*अदीना कोर्डिफोलिया*), बिलि (*एग्ले मार्मेलोस*), सीताफल (*अन्नोना सेक्यूमोसा*), धावदो (*अनोगेसूस लतीफोलिया*), इंगोरिया (*बालानिटेस एजिप्शिया*), कचनार (*बौहिनिया पुरपुरिया*), सलाई (*बोसवेल्लिया सेरटा*), असान (*ब्रिडेलिया रेतुसा*), खाखरो (*बुटेया मोनोस्पर्मा*), कुम्भिओ (*कसेरिया इल्लिप्टिका*), सरू (*कसुरिना इक्रिसेटिफोलिया*), गुंडा (*काँडिया डिचोटामा*), शीशम (*डालबर्गिया लेटिफोलिया*), सांडेशरो (*डेलोनिक्स इलाटा*), तिमरू (*डायोस्पायरो मेलानोक्सिलोन*), तम्बोलिया (*इहरेटिया लैक्स*), आमला (*इम्बलिका ओफिसिनालिस*), मोखो (*स्चरेबेरा स्वीटेनोइड्स*), कडायो (*स्टरकुलिया उरेंस*), जम्बू (*सिजिगियम कुमुनी*), रागत रोयडो (*टेकोमेल्ला उंदुलाटे*), बहेडा (*टेरमिनालिया बेल्लारीका*), दुधी (*वारिघटिया टोमेंटोसा*), मिनधाल (*सेरोमोर्फिस स्पिनोज़ा*), बोरदी (*ज़िज़िफस मॉरिटियना*), आदि अभिलिखित की गई है;

और, इस क्षेत्र से जो जीवजंतु प्रजातियां अभिलिखित की गई है जिसमें उभयचरों की 12 प्रजातियां, सरीसृपों की 21 प्रजातियां, पक्षियों की 202 प्रजातियां और स्तनधारियों की 23 प्रजातियां शामिल हैं, और लुप्तप्राय रीछ (मेलरूसस उरिसनस) को क्षेत्र की प्रमुख प्रजाति माना जाता है और यह अभयारण्य देश के पश्चिमी क्षेत्र में रीछ की उपस्थित को चिन्हित करता है;

और, बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य जीवजंतु ग्रे मसक खैव (*सुंचुस मुरीनुस*), बैट (*कयानोप्टेरस स्फिंक्स*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रडूस*), रतेल (*मलिवोरा कपेंसिस*), सामान्य लंगूर (*प्रेबायतीस इन्तेल्लुस*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हायना हायना*), बनैला सुअर (*सस स्क्रोफ़ा*), बनबिलार (*फेलिस चाउस*), पाम गिलहरी (*फुनाम्बुलुस पेन्नांटी*), भारतीय साल (*मानिस कारासिकाटा*), फील्ड माउस (*मुस ब्रुडगा*), भारतीय लोमड़ी (*वुल्स बेंगलेंसिस*), भेड़िया (*कामिस लुपुस*), सामान्य नेवला (*हेरपेस्टेस एडवर्डसी*), हाउस रेट (*रट्टुस रट्टुस*), डेसर्ट बिल्ली (*फेलिस लयबिका*), ब्लू बुल (*बोसेलाफुस ट्रागोकेमेलुस*), भारतीय खरगोश (*लेपुस मिगरीकोल्लीस*), भारतीय साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका*), पाले हेडगेहोग (*पाराइचिनुस माइक्रोपुस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), सिविट कैट (*विवारीकुला इंडिका*), स्टार्ड कछुआ (*जियोचालोउड एलिगन्स*), रूससेल वाइपर (*विपेरा रूससेल्ली*), फन थ्रोटेड लिर्जाड (*सिताना पोमटिकेरिअना*), आदि हैं;

और, बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य जीवजंतु में कई लुप्तप्राय, संकटापन्न और अतिसंवेदनशील पक्षी प्रजातियां जैसे रेड स्पुरफौल (*गल्लोपेरडिक्स स्पाडिकेया*) ओस्प्रेय (*पेन्डिओन हलिअइअनुस*), भारतीय ब्लैक गिद्ध (*सरकोजिपस कलवुस*), ग्रे जंगली मुरगा (*गल्लुस सोन्नेराटि*), वाइट बेल्लिड मिनिवेट (*पेरिक्रोडुस रयथरोपयगुस*), पेंटेड स्टोर्क (*मेक्टुरिया ल्यूकोसेफला*), वाइट विंगड ब्लैक टिट (*पारुस नुचालिस*), रेड नेक्केड फाल्कोन (*फालको चिक्क्यूरा*), आदि का वास है। अन्य पक्षी प्रजातियां ब्लू फ्लाइकैचर (*मुस्किकापा टिकलेल्लइ*), सिंगिंग बुश लार्क (*मिराफ्रा जवानिका*), रेड विंगेड बुश लार्क (*मिराफ्रा क्रयटयरोपेट्र*), निशट बगुला (*नायक्रिकोराक्स नायक्रिकोराक्स*), वाइट आई (*जोस्टेरोपस पालपेबरोसा*), पर्पल बगुला (*अरदेया पुपुरिस*), फ्रकलिन वरेन वार्बलर (*परिनिया होडगसोनी*), अलपियूड स्विफ्ट (*अपुस मेलवा*), ग्रिफोन गिद्ध (*जिप्स फुलवुस*), ग्लोसी इबिस (*पलेगाडिस फलसिनेल्लुस*), मार्श हर्न (*सर्कस औरूगिनोसुस*), आदि विद्यमान हैं;

और, बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा

गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य के बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य (0) से 3.519 किलोमीटर विविध चौड़ाई वाले 282.18 वर्ग किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य (0) से लेकर 3.519 किलोमीटर की विविध चौड़ाई वाला 282.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, और राजस्थान के साथ अंतःराज्यीय सीमा के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार है।

(2) बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध -I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा ब्यौरा और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग और उपाबंध-IIघ के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध -IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान की जाएगी और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय और संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कृत्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सरण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण)

अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; खनन (ख) प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समयसमय पर-यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।

9.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस की स्थापना और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण की सुविधा।	प्रतिषिद्ध।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए वाणिज्यिक होटल और ,इनमें जो भी निकट है ,रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।

	केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
17.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जायेगी।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

	और होर्डिंग।	
29.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	निगरानी समिति का गठन	पदनाम
(i)	बनासकांठा जिले के कलक्टर, पालनपुर	अध्यक्ष;
(ii)	गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, पर्यावरण और ज्ञात पक्षियों/वन्यजीव विशेषज्ञ (बर्डवाँचर) के क्षेत्र में कार्यरत, राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(iii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(iv)	वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, (जिला-बनासकांठा, पालनपुर), गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;

(vi)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	उप वन संरक्षक, बनासकांठा प्रभाग, पालनपुर	सदस्य-सचिव।

6. निबंधन निर्देश.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेशों होने तक किया जाएगा, बशर्ते कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केंद्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, के आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधधीन होंगे।

[फा. सं. 25/17/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध - I

गुजरात राज्य में बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क. बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

बिंदु		विवरण
से	तक	
1	2	उप्लोबंध, कारामदी एवं सेम्बलपानी ग्राम का क्षेत्र।
2	3	सेम्बलपानी, बेदापानी एवं अम्बाजी ग्राम का क्षेत्र ।
3	4	अम्बाजी, कुम्भारीया एवं रिनछाडी ग्राम का क्षेत्र ।
4	5	जेतवास, चिखाला एवं रानपुर ग्राम का क्षेत्र ।
5	6	रानपुर, गानापिम्पाली, मचकोडा एवं खोखारियावास ग्राम का क्षेत्र ।
6	7	धामनवा, गोथाडा, मिरावास खांधोरूमारी एवं खेरमाल ग्राम का क्षेत्र।
7	8	खेरमाल, कुनवारशी एवं तलेटी ग्राम का क्षेत्र ।
8	9	तलेटी, भाडरामल, मोटापिपोडारा एवं दातपातपुरा ग्राम का क्षेत्र ।
9	10	दालपातपुरा, पिथ (नवानगर), गध (महुदी) एवं महुदी ग्राम का क्षेत्र ।
10	11	महुदी एवं नवावास (दंता) ग्राम का क्षेत्र ।
11	12	वादुसन, पानुद्रा, खैवाद, वादवेरा, चोरी एवं कनबियावास ग्राम का क्षेत्र ।
12	13	खैवाद, कनबियावास, माल, हरिवास, पिम्पलवाली वास ग्राम का क्षेत्र ।
13	14	पिपलवालिवास, धरेदा एवं विराम्वेरी ग्राम का क्षेत्र ।
14	15	विराम्वेरी, खापरा एवं कंसा ग्राम का क्षेत्र ।
15	16	कंसा, अहेडो एवं वाघडाचा ग्राम का क्षेत्र ।
16	17	विरामपुर, हाथीद्रा एवं पावाथी ग्राम का क्षेत्र ।
17	18	पावथी, हथीद्रा एवं गोध ग्राम का क्षेत्र ।
18	19	हाथीद्रा ग्राम का क्षेत्र ।
19	20	हाथीद्रा एवं चिकनवास ग्राम का क्षेत्र ।
20	21	चिकनवास, विरामपुर, तधोदी, गवारा एवं खापरा ग्राम का क्षेत्र ।
21	22	खापरा, पेतसुरा, कानपुरा एवं गंजी ग्राम का क्षेत्र ।
22	23	गंजी, घोडा, धानपुरा एवं विरामपुर ग्राम का क्षेत्र ।
23	24	धानपुरा एवं अजापुरमोटा ग्राम का क्षेत्र ।
24	25	अजापुरमोटा, अजापुरवांका एवं जेथी ग्राम का क्षेत्र ।
25	26	जेथी, चितरासानी, रानपुरिया एवं उकाराडा ग्राम का क्षेत्र ।

26	27	उकारडा, रानपुरिया एवं चितरासानी ग्राम का क्षेत्र ।
27	28	चितरासानी एवं जेथी ग्राम का क्षेत्र ।
28	29	जेथी, अम्बापानी, सुरेला एवं खाजुरिया ग्राम का क्षेत्र ।
29	30	खाजुरिया, धोलिया एवं गंधु ग्राम का क्षेत्र।
30	31	गहनता, खुनिया एवं खापा ग्राम का क्षेत्र ।
31	1	खापा एवं उपलोबांध ग्राम का क्षेत्र ।


ख. बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

बिंदु		विवरण
से	तक	
1	2	निचलोबांध, उप्लोबांध एवं करामदी ग्राम का क्षेत्र ।
2	3	करामदी, गुडा, सेम्बालपानी, बेडापानी एवं सरहाडछापारी ग्राम का क्षेत्र ।
3	4	सरहदछापारी, अम्बाजी, कुम्भारिया, रिच्छाडी एवं जेतवास ग्राम का क्षेत्र।
4	5	जेटवास, चिखाला, रानपुर, बोचा (एस.के)ग्राम का क्षेत्र ।
5	6	बोचा (एस.के) एवं सोनगढ (एस.के) ग्राम का क्षेत्र ।
6	7	पाडपत (एस.के), महुदा, जावरा, जावरा, खोखरियावास, खताल एवं रानपुर ग्राम का क्षेत्र।
7	8	रानपुर, तोरानिया, खांधोरूमारी एवं डोटाबामोडारा ग्राम का क्षेत्र ।
8	9	छोटाबामोडारा, बेडा, बोरादीयाला, कुनवारशी, तलेटी, भद्रामाला एवं मोटापिपोडरा ग्राम का क्षेत्र ।
9	10	मोटापिपोद्रा, चोकिबोर एवं बारवास ग्राम का क्षेत्र ।
10	11	बारवास, दलपतपुरा, गोरान, चोरसन एवं महुदी ग्राम का क्षेत्र।
11	12	महुदी, तुंदिया एवं नवावास ग्राम का क्षेत्र ।
12	13	नवावास, गोधानी, गध एवं दंता ग्राम का क्षेत्र ।
13	14	दंता, दिवादी, पिपलावालिवास एवं वाशी ग्राम का क्षेत्र ।
14	15	वाशी, दिवादी, मंनपुर, कंसा, अहेडो एवं वघडचा ग्राम का क्षेत्र ।
15	16	वघडचा, कानपुर, वागादादी, मुमनवास (अहेमदपुरा) एवं पावथी ग्राम का क्षेत्र ।
16	17	पावथी, धोरी, थुर एवं जलोटरा ग्राम का क्षेत्र ।
17	18	जलोतरा, धंधा, गोध एवं हथीद्रा ग्राम का क्षेत्र ।
18	19	हथीद्रा एवं चिकनवास ग्राम का क्षेत्र ।
19	20	चिकनवास, विरामपुर, तधोदी, गवारा, गवारा, पेतसुरा, गंजी ग्राम का क्षेत्र ।
20	21	गंजी, घोडा एवं धनपुरा (विरामपुरा) ग्राम का क्षेत्र ।

21	22	धनपुरा (विरामपुर), अजापुरमोटा, कंसाराविद एवं उकारादा ग्राम का क्षेत्र ।
22	23	उकारादा, रानपुरिया, मालपुरिया, एवं चितरासानी ग्राम का क्षेत्र ।
23	24	चितरासानी कोतडाचांदगढ, बँटवाडा एवं जेथी का क्षेत्र ।
24	25	जेथी, जंजारावा एवं धोलिया ग्राम का क्षेत्र ।
25	1	धोलिया, गंगु, खुनिया, डूंगरपुर एवं निचालोबांध ग्राम का क्षेत्र ।


उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




उपाबंध - IIख


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध - IIग

बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सैटेलाइट मानचित्र



उपाबंध - IIघ**बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र****उपाबंध -III****सारणी-क: बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर**

क्र.सं.	बिंदु कोड	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	1	24° 23' 48.120" उ	72° 41' 43.682" पू
2	2	24° 21' 53.809" उ	72° 46' 11.841" पू
3	3	24° 20' 12.898" उ	72° 50' 33.519" पू
4	4	24° 18' 4.200" उ	72° 52' 50.931" पू
5	5	24° 21' 37.284" उ	72° 57' 34.414" पू
6	6	24° 15' 58.740" उ	72° 57' 47.224" पू
7	7	24° 12' 3.483" उ	72° 54' 41.715" पू
8	8	24° 14' 53.070" उ	72° 50' 47.526" पू
9	9	24° 11' 3.067" उ	72° 52' 57.616" पू
10	10	24° 6' 28.925" उ	72° 48' 26.633" पू
11	11	24° 8' 0.794" उ	72° 45' 46.249" पू
12	12	24° 10' 21.171" उ	72° 46' 49.696" पू

13	13	24° 15' 15.288" उ	72° 47' 28.322" पू
14	14	24° 15' 7.770" उ	72° 45' 13.355" पू
15	15	24° 12' 58.770" उ	72° 44' 49.887" पू
16	16	24° 11' 20.416" उ	72° 41' 5.873" पू
17	17	24° 8' 56.759" उ	72° 37' 53.059" पू
18	18	24° 12' 31.353" उ	72° 37' 33.521" पू
19	19	24° 12' 37.209" उ	72° 34' 54.038" पू
20	20	24° 15' 12.595" उ	72° 38' 51.486" पू
21	21	24° 14' 52.766" उ	72° 42' 29.653" पू
22	22	24° 19' 5.510" उ	72° 42' 12.690" पू
23	23	24° 17' 20.284" उ	72° 38' 51.648" पू
24	24	24° 16' 56.868" उ	72° 34' 44.939" पू
25	25	24° 17' 8.469" उ	72° 31' 31.401" पू
26	26	24° 15' 36.275" उ	72° 32' 14.571" पू
27	27	24° 15' 21.456" उ	72° 29' 40.232" पू
28	28	24° 18' 27.504" उ	72° 30' 48.343" पू
29	29	24° 20' 6.318" उ	72° 33' 1.203" पू
30	30	24° 21' 25.655" उ	72° 35' 56.001" पू
31	31	24° 23' 11.488" उ	72° 39' 22.076" पू

सारणी-ख: बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	बिंदु कोड	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	1	24° 24' 26.860" उ	72° 40' 34.528" पू
2	2	24° 21' 32.013" उ	72° 43' 51.666" पू
3	3	24° 22' 0.000" उ	72° 48' 43.439" पू
4	4	24° 19' 6.442" उ	72° 52' 17.237" पू
5	5	24° 22' 22.293" उ	72° 58' 32.336" पू
6	6	24° 19' 35.710" उ	73° 0' 6.242" पू
7	7	24° 14' 39.385" उ	72° 57' 40.110" पू
8	8	24° 11' 42.863" उ	72° 55' 20.711" पू

9	9	24° 11' 20.440" उ	72° 51' 25.239" पू
10	10	24° 10' 50.824" उ	72° 53' 40.844" पू
11	11	24° 6' 18.036" उ	72° 49' 30.188" पू
12	12	24° 7' 49.143" उ	72° 45' 2.414" पू
13	13	24° 11' 34.091" उ	72° 45' 34.392" पू
14	14	24° 15' 2.192" उ	72° 45' 32.657" पू
15	15	24° 10' 42.541" उ	72° 41' 58.193" पू
16	16	24° 8' 23.680" उ	72° 38' 35.971" पू
17	17	24° 8' 25.845" उ	72° 35' 50.098" पू
18	18	24° 13' 24.724" उ	72° 34' 8.882" पू
19	19	24° 15' 32.335" उ	72° 39' 12.361" पू
20	20	24° 18' 57.275" उ	72° 41' 38.224" पू
21	21	24° 17' 1.573" उ	72° 36' 31.884" पू
22	22	24° 15' 12.712" उ	72° 32' 18.904" पू
23	23	24° 15' 8.023" उ	72° 29' 43.701" पू
24	24	24° 18' 39.460" उ	72° 29' 1.115" पू
25	25	24° 21' 20.947" उ	72° 33' 47.943" पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	संभाग	तालुका	ग्राम के नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	अजापुर मोटा	24° 17' 25.022" उ	72° 35' 42.829" पू
2	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	अजापुर बांका	24° 17' 34.084" उ	72° 33' 5.819" पू
3	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	अम्बापानी	24° 19' 7.071" उ	72° 33' 18.613" पू
	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	असर्वेक्षित (अम्बापानी)	--	--
4	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	भामरीया	24° 19' 2.333" उ	72° 37' 42.139" पू
5	बनासकांठा	अमीरगढ़	भयला	24° 17' 37.817" उ	72° 43' 19.008" पू

	(साधारण)		(लसारिया)		
6	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	चिकनवास	24° 15' 34.769" उ	72° 37' 56.761" पू
7	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	दभचत्र	24° 19' 45.105" उ	72° 42' 38.464" पू
8	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	धनपुर (विरामपुर-1)	24° 17' 32.473" उ	72° 38' 3.424" पू
9	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	धोलिया	24° 21' 16.525" उ	72° 35' 22.009" पू
10	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	दुंगारपुर	24° 23' 18.280" उ	72° 39' 0.656" पू
11	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	गांजी (घोडा)	24° 19' 10.604" उ	72° 40' 53.116" पू
12	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	गवारा	24° 14' 30.856" उ	72° 42' 4.178" पू
13	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	घन्गु	24° 21' 43.283" उ	72° 36' 28.620" पू
14	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	घोडा	24° 19' 3.978" उ	72° 40' 5.905" पू
15	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	जेथी	24° 19' 13.643" उ	72° 30' 17.291" पू
16	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	कानपुर	24° 17' 6.611" उ	72° 42' 5.543" पू
17	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	कंसाराविद	24° 16' 53.883" उ	72° 33' 36.163" पू
18	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	करमादी	24° 22' 4.159" उ	72° 43' 11.742" पू
19	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	केनगोरा	24° 15' 49.668" उ	72° 44' 9.050" पू
20	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	खजुरीया	24° 19' 42.420" उ	72° 35' 27.767" पू
21	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	खापा	24° 22' 45.933" उ	72° 40' 5.047" पू
22	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	खापरा	24° 14' 31.001" उ	72° 43' 14.244" पू
23	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	खुनीया	24° 22' 1.028" उ	72° 37' 35.558" पू
24	बनासकांठा	अमीरगढ़	मंडलिया	24° 19' 31.346" उ	72° 34' 19.528" पू

	(साधारण)				
25	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	निचालाबंध	24° 24' 0.547" उ	72° 40' 55.317" पू
26	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	पेदसुरा	24° 15' 8.799" उ	72° 42' 28.599" पू
27	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	राबरान	24° 19' 17.382" उ	72° 34' 44.484" पू
28	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	राजपुरीया	24° 17' 47.588" उ	72° 30' 12.175" पू
29	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	सुरेला	24° 18' 15.256" उ	72° 35' 40.343" पू
30	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	तधोडी	24° 14' 12.105" उ	72° 41' 6.042" पू
31	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	उपालाबंध	24° 23' 39.161" उ	72° 40' 30.390" पू
32	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	विरामपुर	24° 15' 43.940" उ	72° 40' 10.518" पू
33	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़	जन्जारवा	24° 20' 10.702" उ	72° 32' 38.502" पू
34	बनासकांठा (साधारण)	दंता	अम्बाजी (सीटी)	24° 19' 54.656" उ	72° 50' 54.322" पू
35	बनासकांठा (साधारण)	दंता	बारावास	24° 10' 46.986" उ	72° 53' 26.796" पू
36	बनासकांठा (साधारण)	दंता	बेडा	24° 11' 18.728" उ	72° 54' 1.983" पू
37	बनासकांठा (साधारण)	दंता	बेडापानी	24° 20' 58.137" उ	72° 47' 43.921" पू
38	बनासकांठा (साधारण)	दंता	भादरामल	24° 13' 13.616" उ	72° 51' 32.085" पू
39	बनासकांठा (साधारण)	दंता	बोरदीयाल	24° 12' 11.887" उ	72° 53' 37.456" पू
40	बनासकांठा (साधारण)	दंता	छोटा बमूद्वार	24° 12' 12.702" उ	72° 55' 21.170" पू
41	बनासकांठा (साधारण)	दंता	चिखाला	24° 19' 50.443" उ	72° 52' 59.334" पू
42	बनासकांठा (साधारण)	दंता	चोकिबोर	24° 11' 16.996" उ	72° 52' 9.491" पू
43	बनासकांठा	दंता	चोरासन	24° 7' 17.088" उ	72° 50' 32.584" पू

	(साधारण)				
44	बनासकांठा (साधारण)	दंता	चोरी	24° 12' 27.852" उ	72° 49' 12.538" पू
45	बनासकांठा (साधारण)	दंता	दाभचित्रा	24° 19' 19.157" उ	72° 43' 18.963" पू
46	बनासकांठा (साधारण)	दंता	दलपतपुरा	24° 9' 25.835" उ	72° 52' 23.902" पू
47	बनासकांठा (साधारण)	दंता	दांता	24° 11' 9.179" उ	72° 45' 55.753" पू
48	बनासकांठा (साधारण)	दंता	डेरिचारदा	24° 14' 57.603" उ	72° 54' 20.902" पू
49	बनासकांठा (साधारण)	दंता	डेवालियावालि वाय	24° 15' 12.702" उ	72° 49' 17.552" पू
50	बनासकांठा (साधारण)	दंता	धाववालीवाव	24° 16' 20.672" उ	72° 49' 21.872" पू
51	बनासकांठा (साधारण)	दंता	धामनवा	24° 15' 53.672" उ	72° 57' 42.153" पू
52	बनासकांठा (साधारण)	दंता	धरेडा	24° 16' 36.553" उ	72° 46' 41.472" पू
53	बनासकांठा (साधारण)	दंता	दीवादी	24° 13' 6.653" उ	72° 45' 44.679" पू
54	बनासकांठा (साधारण)	दंता	गध (दंता)	24° 9' 34.781" उ	72° 46' 39.011" पू
55	बनासकांठा (साधारण)	दंता	गध (महुदी)	24° 7' 18.365" उ	72° 49' 18.842" पू
56	बनासकांठा (साधारण)	दंता	गंजीपुर	24° 8' 15.397" उ	72° 50' 17.602" पू
57	बनासकांठा (साधारण)	दंता	गना पिपली	24° 17' 18.594" उ	72° 56' 51.438" पू
58	बनासकांठा (साधारण)	दंता	घोराड	24° 7' 58.605" उ	72° 51' 2.645" पू
59	बनासकांठा (साधारण)	दंता	घोधानी	24° 8' 33.438" उ	72° 45' 45.840" पू
60	बनासकांठा (साधारण)	दंता	गोथाडा	24° 15' 42.931" उ	72° 56' 40.820" पू
61	बनासकांठा (साधारण)	दंता	गुदा	24° 20' 31.095" उ	72° 44' 28.928" पू
62	बनासकांठा	दंता	हरीवाय	24° 13' 19.359" उ	72° 47' 9.811" पू

	(साधारण)				
63	बनासकांठा (साधारण)	दंता	अहेडो	24° 12' 7.352" उ	72° 41' 49.766" पू
64	बनासकांठा (साधारण)	दंता	जमबेरा	24° 16' 55.066" उ	72° 51' 23.318" पू
65	बनासकांठा (साधारण)	दंता	जवारा	24° 16' 57.527" उ	72° 58' 7.724" पू
66	बनासकांठा (साधारण)	दंता	जेतवास	24° 19' 13.237" उ	72° 52' 49.963" पू
67	बनासकांठा (साधारण)	दंता	जुमाफली	24° 15' 57.148" उ	72° 54' 0.235" पू
68	बनासकांठा (साधारण)	दंता	कंबियावास	24° 11' 41.327" उ	72° 48' 31.207" पू
69	बनासकांठा (साधारण)	दंता	कंसा	24° 12' 25.159" उ	72° 42' 33.696" पू
	बनासकांठा (साधारण)	दंता	असर्वेक्षित (कंसा)	--	--
70	बनासकांठा (साधारण)	दंता	करनपुर	24° 9' 43.238" उ	72° 41' 21.700" पू
71	बनासकांठा (साधारण)	दंता	केंगोरा	24° 17' 45.367" उ	72° 44' 43.163" पू
72	बनासकांठा (साधारण)	दंता	खैवाद	24° 9' 48.495" उ	72° 47' 30.495" पू
73	बनासकांठा (साधारण)	दंता	खंडोरा (खंडोर उमबारी)	24° 13' 10.381" उ	72° 56' 16.681" पू
74	बनासकांठा (साधारण)	दंता	खताल	24° 15' 33.246" उ	72° 57' 43.859" पू
75	बनासकांठा (साधारण)	दंता	खेरनी उमबारी	24° 14' 3.922" उ	72° 56' 2.097" पू
76	बनासकांठा (साधारण)	दंता	खेरमल	24° 13' 17.706" उ	72° 54' 21.936" पू
77	बनासकांठा (साधारण)	दंता	खोखारियावास	24° 16' 25.063" उ	72° 58' 17.640" पू
78	बनासकांठा (साधारण)	दंता	कोटेस्वार	24° 20' 37.570" उ	72° 53' 29.904" पू
79	बनासकांठा (साधारण)	दंता	कुम्भरिया	24° 19' 18.866" उ	72° 51' 42.953" पू
80	बनासकांठा	दंता	कुंवारसी	24° 12' 38.264" उ	72° 51' 30.645" पू

	(साधारण)				
81	बनासकांठा (साधारण)	दंता	मचकोडा	24° 16' 44.518" उ	72° 57' 15.542" पू
82	बनासकांठा (साधारण)	दंता	महुदा	24° 17' 50.421" उ	72° 58' 57.312" पू
83	बनासकांठा (साधारण)	दंता	महुदी	24° 6' 42.083" उ	72° 48' 57.509" पू
84	बनासकांठा (साधारण)	दंता	मल	24° 13' 2.953" उ	72° 48' 13.788" पू
85	बनासकांठा (साधारण)	दंता	मंछाला	24° 15' 0.028" उ	72° 53' 11.128" पू
86	बनासकांठा (साधारण)	दंता	मानपुर (पाटलिया)	24° 7' 37.710" उ	72° 50' 2.668" पू
87	बनासकांठा (साधारण)	दंता	मानपुर (घोराड)	24° 12' 37.461" उ	72° 44' 35.890" पू
88	बनासकांठा (साधारण)	दंता	मिरावास	24° 14' 42.574" उ	72° 56' 23.551" पू
89	बनासकांठा (साधारण)	दंता	मोटा पिपोडारा	24° 11' 37.528" उ	72° 51' 7.231" पू
90	बनासकांठा (साधारण)	दंता	नैवादा	24° 19' 0.489" उ	72° 44' 43.712" पू
91	बनासकांठा (साधारण)	दंता	तुंदीया	24° 6' 22.626" उ	72° 48' 17.680" पू
92	बनासकांठा (साधारण)	दंता	नवावास(दंता)	24° 7' 24.076" उ	72° 44' 38.248" पू
93	बनासकांठा (साधारण)	दंता	पडालिया	24° 18' 25.885" उ	72° 46' 16.338" पू
94	बनासकांठा (साधारण)	दंता	पंछा	24° 17' 24.833" उ	72° 50' 16.014" पू
95	बनासकांठा (साधारण)	दंता	पनियारी	24° 8' 32.335" उ	72° 45' 56.882" पू
96	बनासकांठा (साधारण)	दंता	पनुन्द्रा	24° 9' 41.792" उ	72° 46' 58.475" पू
97	बनासकांठा (साधारण)	दंता	पिपलावालिवास	24° 14' 36.775" उ	72° 47' 23.519" पू
98	बनासकांठा (साधारण)	दंता	पिथ (नवानगर)	24° 9' 7.163" उ	72° 49' 41.648" पू
99	बनासकांठा	दंता	रानपुर	24° 17' 48.728" उ	72° 56' 6.441" पू

	(साधारण)				
100	बनासकांठा (साधारण)	दंता	रागपुर (हदद)	24° 15' 0.397" उ	72° 57' 21.672" पू
101	बनासकांठा (साधारण)	दंता	रिनचादी	24° 18' 34.410" उ	72° 51' 31.699" पू
102	बनासकांठा (साधारण)	दंता	रूपावास	24° 15' 43.805" उ	72° 53' 37.113" पू
103	बनासकांठा (साधारण)	दंता	सेम्बालपानी	24° 19' 55.814" उ	72° 46' 30.355" पू
104	बनासकांठा (साधारण)	दंता	सरहद छापारी	ग्राम नहीं है	ग्राम नहीं है
105	बनासकांठा (साधारण)	दंता	सियावाडा	24° 14' 46.899" उ	72° 46' 52.850" पू
106	बनासकांठा (साधारण)	दंता	तलेटी	24° 13' 48.177" उ	72° 51' 20.774" पू
107	बनासकांठा (साधारण)	दंता	तरनगाडा	24° 16' 54.739" उ	72° 56' 24.689" पू
108	बनासकांठा (साधारण)	दंता	तोरानिया	24° 14' 35.826" उ	72° 57' 32.476" पू
109	बनासकांठा (साधारण)	दंता	वादवेरा	24° 10' 54.579" उ	72° 48' 33.685" पू
110	बनासकांठा (साधारण)	दंता	वादुसान	24° 8' 28.249" उ	72° 46' 35.926" पू
111	बनासकांठा (साधारण)	दंता	वागादाचा	24° 11' 32.319" उ	72° 41' 18.779" पू
112	बनासकांठा (साधारण)	दंता	वासी	24° 14' 1.944" उ	72° 46' 21.095" पू
113	बनासकांठा (साधारण)	दंता	विरामवेरी	24° 17' 34.725" उ	72° 46' 5.866" पू
114	बनासकांठा (साधारण)	पोसिना (एस.के)	बोचा	ग्राम नहीं है	ग्राम नहीं है
115	बनासकांठा (साधारण)	पोसिना (एस.के)	पाडापत	24° 18' 47.987" उ	72° 59' 5.260" पू
116	बनासकांठा (साधारण)	पोसिना (एस.के)	सोनगध	24° 20' 57.126" उ	72° 58' 46.539" पू
117	बनासकांठा (साधारण)	पालनपुर	चितरासानी	24° 15' 53.629" उ	72° 29' 10.871" पू
118	बनासकांठा	पालनपुर	गोध्र	24° 11' 13.858" उ	72° 36' 41.886" पू

	(साधारण)				
119	बनासकांठा (साधारण)	पालनपुर	धांधा	24° 10' 54.252" उ	72° 33' 26.992" पू
120	बनासकांठा (साधारण)	पालनपुर	हाथीदरा	24° 13' 27.789" उ	72° 35' 51.395" पू
121	बनासकांठा (साधारण)	पालनपुर	कोटाडा (चांदगढ़)	24° 16' 4.865" उ	72° 28' 44.614" पू
122	बनासकांठा (साधारण)	पालनपुर	मालपुरीया	24° 14' 48.289" उ	72° 30' 34.549" पू
123	बनासकांठा (साधारण)	पालनपुर	रानपुरीया	24° 15' 11.632" उ	72° 30' 50.939" पू
124	बनासकांठा (साधारण)	पालनपुर	उकारडा	24° 15' 19.128" उ	72° 32' 16.773" पू
125	बनासकांठा (साधारण)	वादगम	मुमानवास	24° 8' 43.609" उ	72° 39' 12.598" पू
	बनासकांठा (साधारण)	वादगम	मुमानवासा का भाग (अहमदपुरा)	24° 8' 43.609" उ	72° 39' 12.598" पू
126	बनासकांठा (साधारण)	वादगम	धोरी	24° 8' 39.237" उ	72° 37' 58.449" पू
127	बनासकांठा (साधारण)	वादगम	जलोतरा	24° 8' 31.568" उ	72° 34' 53.410" पू
128	बनासकांठा (साधारण)	वादगम	मोतीपुरा	24° 10' 9.324" उ	72° 40' 7.545" पू
129	बनासकांठा (साधारण)	वादगम	पावाथी	24° 8' 52.554" उ	72° 38' 15.975" पू
130	बनासकांठा (साधारण)	वादगम	थुर	24° 7' 49.799" उ	72° 36' 5.888" पू
131	बनासकांठा (साधारण)	वादगम	वागड़दी	24° 9' 39.199" उ	72° 40' 51.362" पू
132	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़ वन्यजीव गलियारा	जेथी	24° 19' 13.643" उ	72° 30' 17.291" पू
133	बनासकांठा (साधारण)	अमीरगढ़ वन्यजीव गलियारा	बतावड़ा	24° 18' 7.479" उ	72° 28' 59.491" पू

उपाबंध- V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अधीन पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2021

S.O. 4618(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 55 (E), dated the 5th January 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 5th January 2021;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary is spread over an area of 544.78 square kilometers and is located in Danta, Amirgadh, Palanpur and Vadgam Taluka of Banaskantha District in the State of Gujarat, and the Wildlife Sanctuary is situated in the North Western parts of Banaskantha District between Jessore Wildlife Sanctuary in the West, Sabarmati River in the East and adjoins Rajasthan border in the North;

AND WHEREAS, the Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary was declared as Wildlife Sanctuary *vide* notification no. GVN/27/WLP/1088/850-V2, dated the 7th August 1989 with an area of 542.08 square kilometers which after rationalisation is 544.78 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary acts as a catchment area for two major rivers of North Gujarat-Banas and Sabarmati and the forests of the protected area play an important role in conservation of the Aravalli mountain range which offers a great landscape to unique and important biodiversity in the country, and it also helps in controlling the southward expansion of Thar Desert;

AND WHEREAS, the Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary treasures many rare and endangered varieties of trees, herbs and shrubs alongwith rare and endangered species of wildlife, the Sanctuary is consisted of Southern Dry Mixed Deciduous and Desert Thorn forests and the total recorded floral species in the area include 101 species of trees, 86 species of shrubs, 67 species of climbers, 1 species of pteridophyte, 180 species of herbs and 49 species of sedges and grasses

AND WHEREAS, the major vegetation recorded in the area are khair (*Acacia catechu*), haldu (*Adina cordifolia*), bili (*Aegle marmelos*), sitaphal (*Annona squamosa*), dhavado (*Anogeissus latifolia*), ingoriya (*Balanites aegyptica*), kachnar (*Bauhinia purpurea*), salai (*Boswellia serrata*), asan (*Bridelia retusa*), khakhro (*Butea monosperma*), kumbhio (*Casuarina equisetifolia*), saru (*Casuarina equisetifolia*), gunda (*Cordia dichotoma*), sisam (*Dalbergia latifolia*), sandeshro (*Delonix elata*), timru (*Diospyros melanoxylon*), tambolia (*Ehretia laevis*), amla (*Embllica officinalis*), mokho (*Schrebera swietenoides*), kadayo (*Sterculia urens*), jambu (*Syzygium cumuni*), ragat roydo (*Tecomella undulate*), baheda (*Terminalia bellarica*), dudhi (*Wrightia tomentosa*), mindhal (*Xeromorphis spinosa*), bordi (*Zizyphus mauritiana*), etc;

AND WHEREAS, the recorded faunal species from the area includes 12 species of amphibians, 21 species of reptiles, 202 species of birds and 23 species of mammals, and the endangered Sloth bear (*Melursus ursinus*) is considered to be the flagship species of the area and the Sanctuary marks the western most distribution of the sloth bear in the country.

AND WHEREAS, the major fauna of the Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary are grey musk shrew (*Sunchus murinus*), bat (*Cyanopterus sphinx*), panther (*Panthera pardus*), ratel (*Malivora capensis*), common langur (*Prebytis entellus*), striped hyaena, (*Hyaena hyaena*), wild boar (*Sus scrofa*), jungle cat (*Felis chans*), palm squirrel (*Funambulus pennant*), Indian pangolian (*Manis carassicata*), field mouse (*Mus booduga*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), wolf (*Camis lupus*), common mongoose (*Herpestes edwardsi*), house rat (*Rattus rattus*), desert cat (*Felis lybica*), blue bull (*Boselaphus tragocamelus*), Indian hare (*Lepus migricollis*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), pale hedgehog (*Paraechinus micropus*), jackal (*Canis aureus*), civet cat (*Vivaricula indica*), starred tortoise (*Geochaloue elegans*), Russel's viper (*Vipera russelli*), fan throated lizard (*Sitana pomticeriana*), etc;

AND WHEREAS, the Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary is abode to many endangered, threatened and vulnerable avi-faunal species such as red spurfowl (*Galloperdix spadicea*), Osprey (*Pandion haliaeatus*), Indian black vulture (*Sarcogyps calvus*), grey junglefowl (*Gallus sonneratii*), white bellied minivet (*Pericrocotus rhytropygus*), painted stork (*Mvcturia leucocephala*), white winged black tit (*Parus nuchalis*), red necked falcon (*Falco chicquera*) etc. Other avifaunal species present are Tickell's blue flycatcher (*Muscicapa ticelliae*), singing bush lark (*Mirafra javanica*), red winged bush lark (*Mirafra crytropyetra*), Nisht heron (*Nycticorax nycticorax*), white eye (*Zosterops palpebrosa*), purple heron (*Ardea purpures*), Franklin's wren warbler (*Prinia hodgsonii*), alpiue swift (*Apus melba*), griffon vulture (*Gyps fulvus*), glossy ibis (*Plegadis falcinellus*), marsh harrier (*Circus aeruginosus*), etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 282.18 square kilometers to an extent varying from zero (0) to 3.519 kilometers around the boundary of Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary, in the State of Gujarat as the Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 282.18 square kilometres with an extent ranging from zero (0) to 3.519 kilometers around the boundary of Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary, and the zero extent of the Eco-sensitive zone is due to inter-State border with Rajasthan.
- (2) The boundary description of Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.

- (3) The maps of the Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC and Annexure-IID**
 - (4) List of geo co-ordinates of the boundary of Balaram-Ambaji Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
 - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
 - (7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
 - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
 - (9) The Zonal Master Plan so approved by the State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
 - (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
 - (6) **Noise pollution.** -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
 - (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
 - (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.
 - (9) **Solid wastes.**-Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
 - (10) **Bio-medical waste.**— Bio-medical waste management shall be as under:-
 - (a) the Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
 - (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of

India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

- (12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(viii) Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise,	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:

	etc.).	Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited.
9.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the

		competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Commercial use of firewood.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Introduction of exotic species	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring Eco-sensitive Zone Notification.**- For effective monitoring of the provisions of this notification, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Collector of Banaskantha District, Palanpur	Chairman;
(ii)	A representative of non-Governmental organisation working in the field of environment and known birds/wildlife expert (birdwatcher) to be nominated by the State Government.	Members;
(iii)	An expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	A representative of the department of Forests and Environment Department, Government of Gujarat	Member;
(v)	Regional officer, (District- Banaskantha, Palanpur), Gujarat State Pollution Control Board	Member;
(vi)	A representative of State Biodiversity Board	Member;
(vii)	Deputy Conservator of Forests, Banaskantha Division, Palanpur.	Member-Secretary.

6. **Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended as Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/17/2020-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

**BOUNDARY DESCRIPTION OF BALARAM-AMBAJI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS
ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF GUJARAT**

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF BALARAM-AMBAJI WILDLIFE SANCTUARY

Point		Description
From	To	
1	2	Area of Uplobandh, Karamadi & Sembalpani Village.
2	3	Area of Sembalpani, Bedapani & Ambaji Village.
3	4	Area of Ambaji, Kumbhariya & Rinchhadi Village.
4	5	Area of Jetwas, Chikhala & Ranpur Village.
5	6	Area of Ranpur, Ganapimpali, Machkoda & Khokhariyawas Village.
6	7	Area of Dhamanva, Gothada, Miravas, Khandhorumari & Khermal Village.
7	8	Area of Khermal, Kunvarshi & Taleti Village.
8	9	Area of Taleti, Bhadramal, Motapipodara & Dalpatpura Village.
9	10	Area of Dalpatpura, Pith (Navanagar), Gadh (Mahudi) & Mahudi Village.
10	11	Area of Mahudi & Navavas (Danta) Village.
11	12	Area of Vadusan, Panudra, Khaivad, Vadvera, Chori & Kanbiyavas Village.
12	13	Area of Khaivad, Kanbiyavas, Mal, Harivav, Pimpalavali vav Village.
13	14	Area of Pimpalavalivav, Dhareda & Viramveri Village.
14	15	Area of Viramveri, Khapara & Kansa Village.
15	16	Area of Kansa, Ahedo & Vaghdacha Villge.
16	17	Area of Virampur, Hathidra & Pavathi Village.
17	18	Area of Pavathi, Hathidra & Godh Village.
18	19	Area of Hathidra Village.
19	20	Area of Hathidra & Chikanvas Village.
20	21	Area of Chikanvas, Virampur, Tadhodi, Gavara & Khapara Village.
21	22	Area of Khapara, Petsura, Kanpura & Ganji Village.
22	23	Area of Ganji, Ghoda, Dhanpura & Virampur Village.
23	24	Area of Dhanpura & Ajapurmota Village.
24	25	Area of Ajapurmota, Ajapurvanka & Jethi Village.
25	26	Area of Jethi, Chitrasani, Ranpuriya & Ukarada Village.


26	27	Area of Ukarda, Ranpuriya & Chitrasani Village.
27	28	Area of Chitrasani & Jethi Village.
28	29	Area of Jethi, Ambapani, Surela & Khajuriya Village.
29	30	Area of Khajuriya, Dholiya & Ganghu Village.
30	31	Area of Ghanta, Khuniya & Khapa Village.
31	1	Area of Khapa & Uplobandh Village.

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BALARAM-AMBAJI WILDLIFE SANCTUARY

Point		Description
From	To	
1	2	Area of Nichalobandh, Uplobandh & Karamadi Village.
2	3	Area of Karamadi, Guda, Sembalpani, Bedapani & Sarhadchhapari Village.
3	4	Area of Sarhadchhapari, Ambaji, Kumbhariya, Rinchhadi & Jetwas Village.
4	5	Area of Jetwas, Chikhala, Ranpur, Bocha (S.K.) Village.
5	6	Area of Bocha (S.K.) & Songadh (S.K.) Village.
6	7	Area of Padapat (S.K.), Mahuda, Javara, Khokhariyavas, Khatal & Ranpur Village.
7	8	Area of Ranpur, Toraniya, Khandhorumari & Chhotabamodara Village.
8	9	Area of Chhotabamodara, Beda, Boradiyala, Kunvarshi, Taleti, Bhadramal & Motapipodra Village.
9	10	Area of Motapipodra, Chokibor & Barvas Village.
10	11	Area of Barvas, Dalpatpura, Gorad, Chorasani & Mahudi Village.
11	12	Area of Mahudi, Tundiya & Navavas Village.
12	13	Area of Navavas, Godhani, Gadh & Danta Village.
13	14	Area of Danta, Divadi, Pipalavalivav & Vashi Village.
14	15	Area of Vashi, Divadi, Manpur, Kansa, Ahedo & Vaghdacha Village.
15	16	Area of Vaghdacha, Kanpur, Vagadadi, Mumanvas (Ahemadpura) & Pavthi Village.
16	17	Area of Pavthi, Dhori, Thur & Jalotra Village.
17	18	Area of Jalotra, Dhandha, Godh & Hathidra Village.
18	19	Area of Hathidra & Chikanvas Village.
19	20	Area of Chikanvas, Virampur, Tadhodi, Gavara, Petsura, Kanpura & Ganji Village.
20	21	Area of Ganji, Ghoda & Dhanpura (Virampur) Village.
21	22	Area of Dhanpura (Virampur), Ajapurmota, Kansaravid & Ukarada Village.
22	23	Area of Ukarada, Ranpuriya, Malpuriya & Chitrasani Village.
23	24	Area of Chitrasani, Kotadachandgadh, Bantawada & Jethi Village.
24	25	Area of Jethi, Zanzarava & Dholiya Village.
25	1	Area of Dholiya, Gangu, Khuniya, Dungarpur & Nichalobandh Village.


Annexure-II A

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BALARAM-AMBAJI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




Annexure-II B

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BALARAM-AMBAJI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




Annexure-II C

SATELLITE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BALARAM-AMBAJI WILDLIFE SANCTUARY



Annexure-II D

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BALARAM-AMBAJI WILDLIFE SANCTUARY



Annexure-III**TABLE-A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF BALARAM AMBAJI WILDLIFE SANCTUARY**

Sr. No.	Point code	Latitude (N)	Longitude (E)
1	1	24° 23' 48.120" N	72° 41' 43.682" E
2	2	24° 21' 53.809" N	72° 46' 11.841" E
3	3	24° 20' 12.898" N	72° 50' 33.519" E
4	4	24° 18' 4.200" N	72° 52' 50.931" E
5	5	24° 21' 37.284" N	72° 57' 34.414" E
6	6	24° 15' 58.740" N	72° 57' 47.224" E
7	7	24° 12' 3.483" N	72° 54' 41.715" E
8	8	24° 14' 53.070" N	72° 50' 47.526" E
9	9	24° 11' 3.067" N	72° 52' 57.616" E
10	10	24° 6' 28.925" N	72° 48' 26.633" E
11	11	24° 8' 0.794" N	72° 45' 46.249" E
12	12	24° 10' 21.171" N	72° 46' 49.696" E
13	13	24° 15' 15.288" N	72° 47' 28.322" E
14	14	24° 15' 7.770" N	72° 45' 13.355" E
15	15	24° 12' 58.770" N	72° 44' 49.887" E
16	16	24° 11' 20.416" N	72° 41' 5.873" E
17	17	24° 8' 56.759" N	72° 37' 53.059" E
18	18	24° 12' 31.353" N	72° 37' 33.521" E
19	19	24° 12' 37.209" N	72° 34' 54.038" E
20	20	24° 15' 12.595" N	72° 38' 51.486" E
21	21	24° 14' 52.766" N	72° 42' 29.653" E
22	22	24° 19' 5.510" N	72° 42' 12.690" E
23	23	24° 17' 20.284" N	72° 38' 51.648" E
24	24	24° 16' 56.868" N	72° 34' 44.939" E
25	25	24° 17' 8.469" N	72° 31' 31.401" E
26	26	24° 15' 36.275" N	72° 32' 14.571" E
27	27	24° 15' 21.456" N	72° 29' 40.232" E
28	28	24° 18' 27.504" N	72° 30' 48.343" E
29	29	24° 20' 6.318" N	72° 33' 1.203" E
30	30	24° 21' 25.655" N	72° 35' 56.001" E
31	31	24° 23' 11.488" N	72° 39' 22.076" E

TABLE B: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BALARAM AMBAJI WILDLIFE SANCTUARY

Sr. No.	Point code	Latitude (N)	Longitude (E)
1	1	24° 24' 26.860" N	72° 40' 34.528" E
2	2	24° 21' 32.013" N	72° 43' 51.666" E
3	3	24° 22' 0.000" N	72° 48' 43.439" E
4	4	24° 19' 6.442" N	72° 52' 17.237" E
5	5	24° 22' 22.293" N	72° 58' 32.336" E
6	6	24° 19' 35.710" N	73° 0' 6.242" E

7	7	24° 14' 39.385" N	72° 57' 40.110" E
8	8	24° 11' 42.863" N	72° 55' 20.711" E
9	9	24° 11' 20.440" N	72° 51' 25.239" E
10	10	24° 10' 50.824" N	72° 53' 40.844" E
11	11	24° 6' 18.036" N	72° 49' 30.188" E
12	12	24° 7' 49.143" N	72° 45' 2.414" E
13	13	24° 11' 34.091" N	72° 45' 34.392" E
14	14	24° 15' 2.192" N	72° 45' 32.657" E
15	15	24° 10' 42.541" N	72° 41' 58.193" E
16	16	24° 8' 23.680" N	72° 38' 35.971" E
17	17	24° 8' 25.845" N	72° 35' 50.098" E
18	18	24° 13' 24.724" N	72° 34' 8.882" E
19	19	24° 15' 32.335" N	72° 39' 12.361" E
20	20	24° 18' 57.275" N	72° 41' 38.224" E
21	21	24° 17' 1.573" N	72° 36' 31.884" E
22	22	24° 15' 12.712" N	72° 32' 18.904" E
23	23	24° 15' 8.023" N	72° 29' 43.701" E
24	24	24° 18' 39.460" N	72° 29' 1.115" E
25	25	24° 21' 20.947" N	72° 33' 47.943" E

Annexure-IV**LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BALARAM-AMBAJI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sr. No.	Division	Taluka	Name of Village	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Ajapura Mota	24° 17' 25.022" N	72° 35' 42.829" E
2	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Ajapura Vanka	24° 17' 34.084" N	72° 33' 5.819" E
3	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Ambapani	24° 19' 7.071" N	72° 33' 18.613" E
	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Un surveyd (ambapani)	--	--
4	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Bhamariya	24° 19' 2.333" N	72° 37' 42.139" E
5	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Bhayla (Isaria)	24° 17' 37.817" N	72° 43' 19.008" E
6	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Chikanvas	24° 15' 34.769" N	72° 37' 56.761" E
7	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Dabhchatra	24° 19' 45.105" N	72° 42' 38.464" E
8	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Dhanpura (Virampur-1)	24° 17' 32.473" N	72° 38' 3.424" E
9	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Dholiya	24° 21' 16.525" N	72° 35' 22.009" E
10	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Dungarpura	24° 23' 18.280" N	72° 39' 0.656" E
11	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Ganji (Ghoda)	24° 19' 10.604" N	72° 40' 53.116" E
12	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Gavara	24° 14' 30.856" N	72° 42' 4.178" E
13	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Ghangu	24° 21' 43.283" N	72° 36' 28.620" E
14	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Ghoda	24° 19' 3.978" N	72° 40' 5.905" E
15	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Jethi	24° 19' 13.643" N	72° 30' 17.291" E

16	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Kanpura	24° 17' 6.611" N	72° 42' 5.543" E
17	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Kansaravid	24° 16' 53.883" N	72° 33' 36.163" E
18	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Karmadi	24° 22' 4.159" N	72° 43' 11.742" E
19	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Kengora	24° 15' 49.668" N	72° 44' 9.050" E
20	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Khajuriya	24° 19' 42.420" N	72° 35' 27.767" E
21	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Khapa	24° 22' 45.933" N	72° 40' 5.047" E
22	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Khapra	24° 14' 31.001" N	72° 43' 14.244" E
23	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Khuniya	24° 22' 1.028" N	72° 37' 35.558" E
24	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Mandaliya	24° 19' 31.346" N	72° 34' 19.528" E
25	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Nichalabandh	24° 24' 0.547" N	72° 40' 55.317" E
26	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Pedsura	24° 15' 8.799" N	72° 42' 28.599" E
27	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Rabaran	24° 19' 17.382" N	72° 34' 44.484" E
28	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Rajpuriya	24° 17' 47.588" N	72° 30' 12.175" E
29	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Surela	24° 18' 15.256" N	72° 35' 40.343" E
30	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Tadhodi	24° 14' 12.105" N	72° 41' 6.042" E
31	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Upalabandh	24° 23' 39.161" N	72° 40' 30.390" E
32	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Virampur	24° 15' 43.940" N	72° 40' 10.518" E
33	Banaskantha (Normal)	Amirgadh	Zanzarava	24° 20' 10.702" N	72° 32' 38.502" E
34	Banaskantha (Normal)	Danta	Ambaji (CT)	24° 19' 54.656" N	72° 50' 54.322" E
35	Banaskantha (Normal)	Danta	Baravas	24° 10' 46.986" N	72° 53' 26.796" E
36	Banaskantha (Normal)	Danta	Beda	24° 11' 18.728" N	72° 54' 1.983" E
37	Banaskantha (Normal)	Danta	Bedapani	24° 20' 58.137" N	72° 47' 43.921" E
38	Banaskantha (Normal)	Danta	Bhadramal	24° 13' 13.616" N	72° 51' 32.085" E
39	Banaskantha (Normal)	Danta	Bordiyala	24° 12' 11.887" N	72° 53' 37.456" E
40	Banaskantha (Normal)	Danta	Chhota Bamodra	24° 12' 12.702" N	72° 55' 21.170" E
41	Banaskantha (Normal)	Danta	Chikhala	24° 19' 50.443" N	72° 52' 59.334" E
42	Banaskantha (Normal)	Danta	Chokibor	24° 11' 16.996" N	72° 52' 9.491" E
43	Banaskantha (Normal)	Danta	Chorasan	24° 7' 17.088" N	72° 50' 32.584" E
44	Banaskantha (Normal)	Danta	Chori	24° 12' 27.852" N	72° 49' 12.538" E
45	Banaskantha (Normal)	Danta	Dabhchitra	24° 19' 19.157" N	72° 43' 18.963" E
46	Banaskantha (Normal)	Danta	Dalpatpura	24° 9' 25.835" N	72° 52' 23.902" E
47	Banaskantha (Normal)	Danta	Danta	24° 11' 9.179" N	72° 45' 55.753" E
48	Banaskantha (Normal)	Danta	Dericharada	24° 14' 57.603" N	72° 54' 20.902" E
49	Banaskantha (Normal)	Danta	Devaliyavalivav	24° 15' 12.702" N	72° 49' 17.552" E
50	Banaskantha (Normal)	Danta	Dhabavalivav	24° 16' 20.672" N	72° 49' 21.872" E
51	Banaskantha (Normal)	Danta	Dhamanva	24° 15' 53.672" N	72° 57' 42.153" E
52	Banaskantha (Normal)	Danta	Dhareda	24° 16' 36.553" N	72° 46' 41.472" E
53	Banaskantha (Normal)	Danta	Divadi	24° 13' 6.653" N	72° 45' 44.679" E
54	Banaskantha (Normal)	Danta	Gadh (Danta)	24° 9' 34.781" N	72° 46' 39.011" E
55	Banaskantha (Normal)	Danta	Gadh (Mahudi)	24° 7' 18.365" N	72° 49' 18.842" E
56	Banaskantha (Normal)	Danta	Ganjipur	24° 8' 15.397" N	72° 50' 17.602" E
57	Banaskantha (Normal)	Danta	Gana Pipali	24° 17' 18.594" N	72° 56' 51.438" E
58	Banaskantha (Normal)	Danta	Ghorad	24° 7' 58.605" N	72° 51' 2.645" E
59	Banaskantha (Normal)	Danta	Ghodhani	24° 8' 33.438" N	72° 45' 45.840" E
60	Banaskantha (Normal)	Danta	Gothada	24° 15' 42.931" N	72° 56' 40.820" E

61	Banaskantha (Normal)	Danta	Guda	24° 20' 31.095" N	72° 44' 28.928" E
62	Banaskantha (Normal)	Danta	Harivav	24° 13' 19.359" N	72° 47' 9.811" E
63	Banaskantha (Normal)	Danta	Ahedo	24° 12' 7.352" N	72° 41' 49.766" E
64	Banaskantha (Normal)	Danta	Jambura	24° 16' 55.066" N	72° 51' 23.318" E
65	Banaskantha (Normal)	Danta	Javara	24° 16' 57.527" N	72° 58' 7.724" E
66	Banaskantha (Normal)	Danta	Jetvas	24° 19' 13.237" N	72° 52' 49.963" E
67	Banaskantha (Normal)	Danta	Jumafali	24° 15' 57.148" N	72° 54' 0.235" E
68	Banaskantha (Normal)	Danta	Kanbiyavas	24° 11' 41.327" N	72° 48' 31.207" E
69	Banaskantha (Normal)	Danta	Kansa	24° 12' 25.159" N	72° 42' 33.696" E
	Banaskantha (Normal)	Danta	Un surveyd (kansa)	--	--
70	Banaskantha (Normal)	Danta	Karanpur	24° 9' 43.238" N	72° 41' 21.700" E
71	Banaskantha (Normal)	Danta	Kengora	24° 17' 45.367" N	72° 44' 43.163" E
72	Banaskantha (Normal)	Danta	Khaivad	24° 9' 48.495" N	72° 47' 30.495" E
73	Banaskantha (Normal)	Danta	Khandora (Khandor umbari)	24° 13' 10.381" N	72° 56' 16.681" E
74	Banaskantha (Normal)	Danta	Khatal	24° 15' 33.246" N	72° 57' 43.859" E
75	Banaskantha (Normal)	Danta	Kherni Umbari	24° 14' 3.922" N	72° 56' 2.097" E
76	Banaskantha (Normal)	Danta	Khermal	24° 13' 17.706" N	72° 54' 21.936" E
77	Banaskantha (Normal)	Danta	Khokhariyavas	24° 16' 25.063" N	72° 58' 17.640" E
78	Banaskantha (Normal)	Danta	Koteswar	24° 20' 37.570" N	72° 53' 29.904" E
79	Banaskantha (Normal)	Danta	Kumbhariya	24° 19' 18.866" N	72° 51' 42.953" E
80	Banaskantha (Normal)	Danta	Kunvarsi	24° 12' 38.264" N	72° 51' 30.645" E
81	Banaskantha (Normal)	Danta	Machkoda	24° 16' 44.518" N	72° 57' 15.542" E
82	Banaskantha (Normal)	Danta	Mahuda	24° 17' 50.421" N	72° 58' 57.312" E
83	Banaskantha (Normal)	Danta	Mahudi	24° 6' 42.083" N	72° 48' 57.509" E
84	Banaskantha (Normal)	Danta	Mal	24° 13' 2.953" N	72° 48' 13.788" E
85	Banaskantha (Normal)	Danta	Manchhala	24° 15' 0.028" N	72° 53' 11.128" E
86	Banaskantha (Normal)	Danta	Manpur (Pataliya)	24° 7' 37.710" N	72° 50' 2.668" E
87	Banaskantha (Normal)	Danta	Manpur (Ghorad)	24° 12' 37.461" N	72° 44' 35.890" E
88	Banaskantha (Normal)	Danta	Miravas	24° 14' 42.574" N	72° 56' 23.551" E
89	Banaskantha (Normal)	Danta	Mota Pipodara	24° 11' 37.528" N	72° 51' 7.231" E
90	Banaskantha (Normal)	Danta	Naivada	24° 19' 0.489" N	72° 44' 43.712" E
91	Banaskantha (Normal)	Danta	Tundiya	24° 6' 22.626" N	72° 48' 17.680" E
92	Banaskantha (Normal)	Danta	Navavas (Danta)	24° 7' 24.076" N	72° 44' 38.248" E
93	Banaskantha (Normal)	Danta	Padaliya	24° 18' 25.885" N	72° 46' 16.338" E
94	Banaskantha (Normal)	Danta	Panchha	24° 17' 24.833" N	72° 50' 16.014" E
95	Banaskantha (Normal)	Danta	Paniyari	24° 8' 32.335" N	72° 45' 56.882" E
96	Banaskantha (Normal)	Danta	Panundra	24° 9' 41.792" N	72° 46' 58.475" E
97	Banaskantha (Normal)	Danta	Piplavalivav	24° 14' 36.775" N	72° 47' 23.519" E
98	Banaskantha (Normal)	Danta	Pith (Navanagar)	24° 9' 7.163" N	72° 49' 41.648" E
99	Banaskantha (Normal)	Danta	Ranpur	24° 17' 48.728" N	72° 56' 6.441" E
100	Banaskantha (Normal)	Danta	Raghpur (Hadad)	24° 15' 0.397" N	72° 57' 21.672" E
101	Banaskantha (Normal)	Danta	Rinchadi	24° 18' 34.410" N	72° 51' 31.699" E
102	Banaskantha (Normal)	Danta	Rupavas	24° 15' 43.805" N	72° 53' 37.113" E
103	Banaskantha (Normal)	Danta	Sembalpani	24° 19' 55.814" N	72° 46' 30.355" E

104	Banaskantha (Normal)	Danta	Sarhad Chhapari	No Village	No Village
105	Banaskantha (Normal)	Danta	Siyavada	24° 14' 46.899" N	72° 46' 52.850" E
106	Banaskantha (Normal)	Danta	Taleti	24° 13' 48.177" N	72° 51' 20.774" E
107	Banaskantha (Normal)	Danta	Tarangada	24° 16' 54.739" N	72° 56' 24.689" E
108	Banaskantha (Normal)	Danta	Toraniya	24° 14' 35.826" N	72° 57' 32.476" E
109	Banaskantha (Normal)	Danta	Vadvera	24° 10' 54.579" N	72° 48' 33.685" E
110	Banaskantha (Normal)	Danta	Vadusan	24° 8' 28.249" N	72° 46' 35.926" E
111	Banaskantha (Normal)	Danta	Vagadacha	24° 11' 32.319" N	72° 41' 18.779" E
112	Banaskantha (Normal)	Danta	Vasi	24° 14' 1.944" N	72° 46' 21.095" E
113	Banaskantha (Normal)	Danta	Viramveri	24° 17' 34.725" N	72° 46' 5.866" E
114	Sabarkantha	Poshina (S.K.)	Bochha	No Village	No Village
115	Sabarkantha	Poshina (S.K.)	Padapat	24° 18' 47.987" N	72° 59' 5.260" E
116	Sabarkantha	Poshina (S.K.)	Songadh	24° 20' 57.126" N	72° 58' 46.539" E
117	Banaskantha (Normal)	Palanpur	Chitrasani	24° 15' 53.629" N	72° 29' 10.871" E
118	Banaskantha (Normal)	Palanpur	Godh	24° 11' 13.858" N	72° 36' 41.886" E
119	Banaskantha (Normal)	Palanpur	Dhandha	24° 10' 54.252" N	72° 33' 26.992" E
120	Banaskantha (Normal)	Palanpur	Hathidra	24° 13' 27.789" N	72° 35' 51.395" E
121	Banaskantha (Normal)	Palanpur	Kotada (Chandgadh)	24° 16' 4.865" N	72° 28' 44.614" E
122	Banaskantha (Normal)	Palanpur	Malpuriya	24° 14' 48.289" N	72° 30' 34.549" E
123	Banaskantha (Normal)	Palanpur	Ranpuriya	24° 15' 11.632" N	72° 30' 50.939" E
124	Banaskantha (Normal)	Palanpur	Ukarda	24° 15' 19.128" N	72° 32' 16.773" E
125	Banaskantha (Normal)	Vadgam	Mumanvas	24° 8' 43.609" N	72° 39' 12.598" E
	Banaskantha (Normal)	Vadgam	Part of Mumanvas (ahamadpura)	24° 8' 43.609" N	72° 39' 12.598" E
126	Banaskantha (Normal)	Vadgam	Dhori	24° 8' 39.237" N	72° 37' 58.449" E
127	Banaskantha (Normal)	Vadgam	Jalotra	24° 8' 31.568" N	72° 34' 53.410" E
128	Banaskantha (Normal)	Vadgam	Motipura	24° 10' 9.324" N	72° 40' 7.545" E
129	Banaskantha (Normal)	Vadgam	Pavathi	24° 8' 52.554" N	72° 38' 15.975" E
130	Banaskantha (Normal)	Vadgam	Thur	24° 7' 49.799" N	72° 36' 5.888" E
131	Banaskantha (Normal)	Vadgam	Vagdadi	24° 9' 39.199" N	72° 40' 51.362" E
132	Banaskantha (Normal)	Amirgadh wild life corridor	Jethi	24° 19' 13.643" N	72° 30' 17.291" E
133	Banaskantha (Normal)	Amirgadh wild life corridor	Batavada	24° 18' 7.479" N	72° 28' 59.491" E

Annexure-V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.